पत्रावली पेश हुई। प्रकुलाच उपरान्त पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन व अकुलाच की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर है कि आवेदक द्वारा अपनी खातेदारी भूमि शिवतलाव के खसरा नंबर 169 मे आवागमन के लिये रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 169/5 व सिमानचक की खातेदारी भूमि ख.नं. 169/3 मेसे रास्ता की मांग की है। इस संबंध मे तहसीलदार भादी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ख.नं. 169/5 रकबा 0-25 हैक्टर अप्रार्थी हेमा w/o पुनाराम कोरा की खातेदारी कृषि भूमि न होकर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि है। धारा 251 (अ) टिनेन्सी Act मे विधि के प्रावधानो अनुसार कृषि भूमि से ही रास्ता दिया जा सकता है जबकि हस्तगत प्रकरण मे रास्ता के रूप मे पडने वाला ख.नं. 169/5 रकबा 0.25 हैक्टर कृषि भूमि न होकर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है। जिससे प्रार्थी आवेदक का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 (अ) राजस्व के तहत पारिपोषणीय नही होने से पत्रावली फैसल खारिज किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम हो। अनुसार होकर